क्रम संख्या–82

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 01 अप्रैल, 2013 ई0

चैत्र 11, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 141/XXXVI(3)/2013/19(1)/2013

देहरादून, 01 अप्रैल, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2013"** पर दिनांक 28 मार्च, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 17, वर्ष 2013 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2013

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 17 वर्ष 2013}

उत्तराखण्ड राज्य में प्लास्टिक तथा अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरे के उपयोग व निस्तारण का विनियमन करने तथा उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो:–

अध्याय–एक

प्रारम्भिकी

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएँ

2. इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो–

(क) **"जीव नाशित कूड़ा–कचरा"** से जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा–कचरा या अपशिष्ट पदार्थ अभिप्रेत है ;

(ख) **"सक्षम प्राधिकारी"** से इस अधिनियम के किसी उपबन्ध को प्रवृत्त करने के लिए अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी, अधिकारी अथवा व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) **"गृह–पथ"** से ऐसा पथ अथवा भूमि की ऐसी पट्टी अभिप्रेत है, जो नालों के रूप में उपयोग में लाये जाने, अथवा किसी संडास, मूत्रालय, मलकूप अथवा गलीज या दूषित पदार्थ एकत्र करने के किसी पात्र तक पहुंचाने के लिये उपर्युक्त संडास इत्यादि की सफाई करने अथवा वहां

से उक्त पदार्थ हटाने के कार्य में नियोजित किसी व्यक्ति के वहां तक पहुंचने के लिए मार्ग देने के लिए निर्मित की गयी हो, अलग कर दी गई हो अथवा उपयोग में लायी जाती हो;

(घ) **"स्थानीय प्राधिकारी"** से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत, छावनी परिषद्, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत अभिप्रेत है;

(ङ) **"बाजार"** के अन्तर्गत ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है, जहां क्रेता और विक्रेता के लिए कोई सामान्य विनियमन न होते हुए भी, चाहे स्थान के मालिक अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाजार के व्यक्ति के व्यापार में अधिकारिता पर नियंत्रण हो अथवा नहीं, लोग मानव उपयोग या उपभोग के लिए मांस, मछली, फल, सब्जी, खाद्य या अन्य कोई खाद्य या अखाद्य सामग्री या माल का प्रदर्शन करते हुए विक्रय या क्रय करने के लिए ऐसे स्थान के स्वामी की सहमति अथवा बिना सहमति के एकत्र होते हैं;

(च) **"जीव अनाशित कूड़ा–कचरा"** से जीव अनाशित पदार्थ से निर्मित अपशिष्ट कूड़ा–कचरा अभिप्रेत है;

(छ) **"जीव अनाशित पदार्थ"** से प्लास्टिक सहित ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है, जो कि माइक्रो आर्गनिज्म, सूर्य रोशनी अथवा अन्य प्राकृतिक कार्रवाई से समाप्त अथवा कम नहीं किया जा सकता है और इसमें इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पॉलिथिन, नाइलॉन या अन्य प्लास्टिक पदार्थ, जैसे पॉली विनाइल क्लोराइड्स (पी.वी.सी.), पॉली प्रोपिलीन और पॉली स्टाइरीन से बने अथवा विनिर्मित सामान सम्मिलित हैं, जो इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं;

(ज) **"अधिभोगी"** के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :–

(एक) कोई व्यक्ति जो स्वामी को, तत्समय उस भूमि या भवन का किराया या किराये के किसी अंश का भुगतान कर रहा है या भुगतान करने का दायी है, जिसके सम्बन्ध में ऐसे किराये का भुगतान किया जाता है या देय है;

(दो) कोई स्वामी, जो अपनी भूमि या भवन का अधिभोग कर रहा हो या उसका अन्यथा उपयोग कर रहा हो;

(तीन) किसी भूमि या भवन का किराया मुक्त किरायेदार; और

(चार) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन के उपयोग या अधिभोग के लिए उसके स्वामी को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का दायी हो;

(झ) **"स्वामी"** में कोई व्यक्ति जो कि तत्समय किसी भूमि अथवा भवन का किराया प्राप्त कर रहा था या प्राप्त करने के लिए अर्ह था, चाहे वह स्वयं के लेखे में अथवा उसके लेखे में और किसी अन्य के लेखे में अथवा अभिकर्ता, न्यासी, अभिभावक अथवा रिसीवर अथवा जो इस प्रकार किराया प्राप्त कर रहा हो अथवा उसे प्राप्त करने के लिए अर्ह हो, मानो भूमि अथवा भवन अथवा उसका कोई भाग किरायेदार को किराये में दिया गया हो; अभिप्रेत है;

(ञ) **"स्थान"** से कोई ऐसी भूमि या भवन या भवन का भाग अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत भवन या भवन के भाग से सम्बद्ध उद्यान, जमीन या वहिर्गृह, यदि कोई हो, भी है;

(ट) **"लोक पर्यवलोकन के लिये खुला स्थान"** के अन्तर्गत कोई निजी स्थान या भवन, स्मारक, बाड़ या छज्जा भी है जो किसी सार्वजनिक स्थान में से या उससे होकर गुजरने वाले किसी व्यक्ति को, दिखाई देता हो;

(ठ) **"विहित"** से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) **"लोक विश्लेषक"** से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (29 का 1986) के उपबन्धों के अधीन राज्य में स्थापित या मान्यता प्राप्त किसी पर्यावर्णिक प्रयोगशाला के सम्बन्ध में सरकारी विश्लेषक के रूप में नियुक्त या मान्यता प्राप्त व्यक्ति अभिप्रेत है; और

(ढ) **"सार्वजनिक स्थान"** से जनता के उपयोग और उपभोग के लिए खुला कोई स्थान अभिप्रेत है, चाहे जनता द्वारा उसका वास्तव में उपयोग या उपभोग किया जाता हो या नहीं और इसके अन्तर्गत सड़क, मार्ग, बाजार, गृह–पथ, या रास्ता चाहे वह आम रास्ता हो या न हो, और कोई अन्य स्थान जहां जनता को प्रवेश की अनुमति हो या आने–जाने का अधिकारी हो या जिस पर उन्हें जाने का अधिकारी हो, भी है।

अध्याय–दो

जीव अनाशित पदार्थ के प्रयोग पर प्रतिबन्ध अथवा प्रतिषेध

जीव अनाशित पदार्थ से कतिपय वस्तुओं के निर्माण के प्रयोग पर प्रतिबन्ध अथवा प्रतिषेध

3. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना से, उत्तराखण्ड राज्य के भीतर प्लास्टिक अथवा जीव अनाशित पदार्थ, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मानकों से असंगत होते हैं, के उत्पादन, क्रय, विक्रय, भण्डारण, वितरण और उपयोग पर प्रतिबन्ध अथवा प्रतिषेध अधिरोपित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना से पैकिंग के प्रकार, आकार, लेबल और संरचना या उसके प्रयोग और निस्तारण, जिसमें अपघटन व पुनःचक्रण के मानक अथवा मानदण्ड सम्मिलित हैं, के निमित्त निर्माताओं, वितरकों और अन्य व्यक्तियों, जो वस्तुओं का उत्पादन अथवा व्यवहरण करते हैं, पर दायित्व अधिरोपित कर सकेगी।

सार्वजनिक नालियों, मल नालियों और जल निकाय में जीव अनाशित कूड़ा–कचरा फेंकने पर प्रतिबन्ध

4. (1) कोई भी व्यक्ति, स्वयं या दूसरे के द्वारा, जानबूझकर या अन्यथा, किसी नाली, वेंटिलेशन शाफ्ट, पाईप व फीटिंग चाहे निजी अथवा सार्वजनिक जल निकास से जुड़ा हो, नहर, तालाब, नाले, नदी में कोई भी जीव अनाशित कूड़ा–कचरा या जीव अनाशित थैले अथवा पात्र में जीव नाशित कूड़ा–कचरा नहीं फेंकेगा या फेंकवायेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या अन्यथा, सिवाय ऐसे प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे सुरक्षा मानकों का पालन किये जाने के पश्चात्, जैसा विहित किया जाय, कोई जीव नाशित या जीव अनाशित कूड़ा–कचरा किसी सार्वजनिक स्थान या किसी लोक पर्यवलोकन के लिए खुले स्थान पर नहीं डालेगा या डालने की अनुज्ञा देगा, जब तक कि –

(क) कूड़ा–कचरा किसी बन्द कूड़ेदान में नहीं डाला जाता है; या

(ख) कूड़े–कचरे के निस्तारण के लिए क्षेत्र पर अधिकारिता प्राप्त करने वाले स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर, कूड़ा–कचरा नहीं डाला जाता है।

जीव अनाशित कूड़ा–कचरा जलाने पर प्रतिबन्ध

5. कोई भी व्यक्ति अनुसूची में उल्लिखित किसी भी पदार्थ से बना जीव अनाशित कूड़ा–कचरा नहीं जलायेगा।

अध्याय – तीन

जीव अनाशित कूडा–कचरे का प्रबन्ध

जीव अनाशित कूड़ा–कचरा जमा करने के लिए कूड़ादान रखने और स्थानों की व्यवस्था करना

6. स्थानीय प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) उचित और सुविधाजनक स्थान पर सार्वजनिक कूड़ेदान रखेगा या व्यवस्था करेगा, या जीव अनाशित कूड़े–कचरे के लिए अस्थाई जमाव या संग्रहण के लिए स्थान की व्यवस्था करेगा;

(ख) जीव नाशित कूड़े–कचरे के लिए रखे और अनुरक्षित कचरा पेटियों के अलावा जीव अनाशित कूड़े–कचरे को अस्थाई रूप से जमा करने के लिए अलग कचरा पेटियों की व्यवस्था करेगा;

(ग) इस धारा के खण्ड (क) के अधीन उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये या नियत किये गये सभी स्थानों पर कूड़ेदानों और ढेर संग्रह स्थानों की अन्तर्वस्तु को हटाने की व्यवस्था करेगा;

(घ) इस अधिनियम के अन्तर्गत संग्रहीत जीव अनाशित कूड़े–कचरे के पुनः चक्रण का प्रबन्ध करेगा;

(ङ) ऐसे समस्त कूड़दानों के आसमान की ओर मुँह खुलने वाले ऊपरी भाग में बन्द होने की सुविधा होनी चाहिए।

जीव अनाशित कूड़ा–कचरा आदि को संग्रहित और जमा करने का स्वामियों और अधि–भोगियों का कर्तव्य

7. सभी भूमि और भवनों के स्वामियों और अधिभूमियों को निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :–

(क) अपनी–अपनी भूमि और भवनों से जीव अनाशित कूड़ा–कचरा एकत्रित करना या करवाना और स्थानीय प्राधिकारों द्वारा क्षेत्र में जीव अनाशित कूड़ा–कचरा एकत्रित करने या अस्थाई तौर पर जमा कराने हेतु उपलब्ध कराये गये सार्वजनिक कूड़ेदानों या स्थानों में जमा करना या करवाना;

(ख) जीव अनाशित कूड़े–कचरे को जमा करने के लिए रखी गयी और अनुरक्षित से भिन्न ऐसी भूमि या भवनों से सभी जीव अनाशित कूड़ा–कचरे के संग्रहण के लिए स्थानीय प्राधिकारी या उसके अधिकारियों द्वारा विहित प्रकार के और रीति में अलग–अलग कूड़ादानों या कचरा पेटियों की व्यवस्था करना और ऐसे कूड़ादानों और कचरा पेटियों को अच्छी हालत में रखना और उसकी मरम्मत करना।

जीव अनाशित कूड़ा–कचरा अथवा जीव अनाशित पदार्थ को हटाने की स्थानीय प्राधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी की शक्ति

8. स्थानीय प्राधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी लिखित नोटिस द्वारा किसी ऐसी भूमि या भवन के जो जीव अनाशित कूड़े–कचरे अथवा जीव अनाशित पदार्थ का अनाधिकृत ढेर लगाने या जमा करने का स्थान बन गया हो और जिससे किसी न्यूसेन्स का कारण बनने की सम्भावना हो, स्वामी या अधिभोगी या अंशतः स्वामी अथवा स्वामी या अंशतः स्वामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति से, इस प्रकार ढेर लगाये गये या संग्रहीत कूड़े–कचरे को हटाये या हटवाने की अपेक्षा कर सकता है, यदि उसकी राय में जीव अनाशित कूड़े–कचरे के ऐसे ढेर या संग्रहण से जल निकास या मल वहन प्रणाली के अवरूद्ध होने की या जीवन या स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने की सम्भावना हो तो वह ऐसे आवश्यक कदम उठाएगा, जैसा वह आवश्यक समझे तथा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में उपबन्धित रीति से ऐसे व्यक्ति के खर्चे पर उक्त कूड़े–कचरे या पदार्थ का व्ययन करेगा।

अध्याय–चार

शास्ति और दण्ड

प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति

9. (1) इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में जारी अधिसूचना द्वारा सशक्त कोई व्यक्ति किसी स्थान पर, जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसे सहयोगियों सहित सभी समुचित समयों पर प्रवेश का अधिकार रखेगा :–

(क) राज्य सरकार द्वारा उसे दिए गए कृत्यों के पालन के प्रयोजन के लिए;

(ख) इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन दिया गया अथवा किया गया अथवा बनाए गए कोई नोटिस, आदेश अथवा निर्देश का अनुपालन अथवा कोई ऐसे कृत्यों के सम्पादन और उसकी रीति के निर्धारण के प्रयोजन के लिए;

(ग) किसी अभिलेख, पंजिका, दस्तावेज़ या कोई अन्य सामग्री के परीक्षण या किसी भवन में, जहाँ इस अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन किसी अपराध के कारित हो चुके होने, हो रहे होने अथवा होने की सम्भावना पर विश्वास करने के लिए

उसके पास कारण होते हैं, में तलाशी करने और ऐसे समस्त अभिलेख, पंजिका, दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री अभिग्रहित करने के लिए यदि उसके पास विश्वास करने के लिए कारण है कि इससे इस अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन कारित किसी दण्डनीय अपराध के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा।

(2) जीव अनाशित पदार्थ या जीव अनाशित कूड़े–कचरे को व्यवहृत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उपधारा (1) के अन्तर्गत कृत्यों के निर्वहन के लिए उक्त उपधारा में सशक्त व्यक्ति को सभी सहायता देगा और ऐसा न करने की दशा में अधिनियम के अधीन दण्डित किया जायेगा।

(3) जहाँ तक दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के क्रम में इस धारा के अधीन तलाशी लेने और अधिग्रहण करने की शक्ति ऐसी होगी, जैसे कि किसी प्राधिकारी द्वारा उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी वारण्ट के अधीन तलाशी लेने और अधिग्रहण करने की शक्ति होती है।

(4) इस धारा के अधीन अधिग्रहीत किसी जीव अनाशित पदार्थ अथवा जीव अनाशित कूड़ा–कचरे का निस्तारण ऐसी रीति से, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किया जायेगा।

शास्ति

10. जो कोई भी इस अधिनियम के किसी प्राविधान या उसके अधीन बनाए गए नियम, जारी की गयी अधिसूचना या दिए गए, आदेश के उल्लंघन में कोई कृत्य करता है या जनबूझकर लोप करता है या इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को दुष्प्रेरित करता है या उसका भागीदार होता है, तीन माह के साधारण कारावास अथवा जुर्माना, जो आम नागरिकों और फुटकर व्यवसायियों के मामले में ₹ 500, खुदरा दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के मामलों में ₹ 50,000 तथा निर्माताओं और व्यवसायिक फर्मों के मामलों में ₹ 02 लाख तक होगा, से या दोनों से दण्डित होगा।

दण्ड

11. जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हो चुका हो, अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जाता है तो वह पश्चात्वर्ती अपराध के लिए धारा 10 में प्राविधानित दण्ड के दुगुने दण्ड से दण्डनीय होगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

12. (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो कम्पनी और प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कम्पनी का कारबार चलाने के निमित्त कम्पनी का प्रभारी या उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो अपराध करने का दोषी समझा जायेगा और तद्नुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी और उसे दण्डित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि ऐसा व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं हुआ था या उसने उस अपराध को रोकने के लिए सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरत ली थी तो इस अधिनियम की किसी बात से वह दण्ड का भागी नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित सिद्ध हो जाये कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौनानुकूलता से हुआ है या अपराध उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी और तद्नुसार उसे दण्ड दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए :–

(क) **"कम्पनी"** से कोई नियमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में **"निदेशक"** से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अपराधों का संक्षिप्त विचारण

13. इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय समस्त अपराधों का किसी प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 262 से 265 (दोनों सहित) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित, ऐसे विचारण पर लागू होंगे।

अपराधों का शमन

14. (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध, अभियोजन संस्थित किये जाने से पूर्व ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त

प्राधिकृत करे, राज्य सरकार के पक्ष में ऐसी राशि, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, के भुगतान पर शमित किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि किसी एक मामले में ऐसा भुगतान उसके लिए निर्धारित जुर्माने से अधिक नहीं होगा।

(2) जहाँ किसी अपराध का उपरोक्त उपधारा (1) के अन्तर्गत शमन किया जा चुका हो, शमित अपराध के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्ध कोई अग्रत्तर कार्यवाही नहीं की जायेगी और अभियुक्त के अभिरक्षा में होने पर उसे उन्मोचित कर दिया जायेगा।

अध्याय–पाँच

अपशिष्ट गोदाम का पंजीकरण और श्रमिक की सुरक्षा

पंजीकरण

15. (1) अपशिष्ट गोदाम का प्रत्येक संचालक सभी प्रकार के जीव अनाशित कूड़ा–कचरे के भण्डारण के लिए इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार सम्बन्धित स्थानीय निकायों, जिनमें ग्राम पंचायतें भी सम्मिलित हैं, से पंजीकरण करायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन पंजीकृत सभी एजेंसियां, जो कि जीव अनाशित कूड़े–कचरे की सफाई और संग्रहण के लिए कार्य करेंगी, प्रत्येक कूडा उठाने वाले और सफाई, संग्रहण, भण्डारण और प्रबन्धन में लगाए गए अन्य श्रमिकों के दायित्वों और पहचान को प्रदर्शित करेगी और उपर्युक्त गतिविधियों में चौदह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सहयोजित नहीं किया जायेगा।

(3) किसी भी पंजीकृत अपशिष्ट गोदाम या श्रमिक, जो किसी भी कूडे–कचरे, चाहे जीव नाशित हो या अन्यथा की सफाई, पृथक्करण या अन्यथा निस्तारण में लगे हों, पर पुनःचक्रण या मिश्रण या बडे भण्डारण या पुनःचक्रण केन्द्र के लिए परिवहन के प्रयोजन संग्रहित कूड़े–कचरे के भण्डारण, संग्रहण, क्रय अथवा विक्रय के लिए किसी भी प्रकार का अभियोग नहीं चलाया जायेगा :

परन्तु यह कि ऐसा सभी प्रकार का परिवहन कार्य बन्द गाड़ी अथवा कन्टेनर में किया जायेगा।

(4) प्रत्येक पंजीकृत गोदाम और स्थानीय निकाय अपने पंजीकृत श्रमिक,

जो कि कूडे–कचरे की सफाई और संग्रहण के लिए लगाए गए हैं, को आधुनिक सफाई के उपस्कर, जूते, दस्ताने, एप्रिन और अन्य सुरक्षा के उपाय प्रदान करना सुनिश्चित करेगा।

अध्याय–छः

प्रकीर्ण

राज्य सरकार द्वारा निर्देश

16. राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समय–समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगी, जो उन प्राधिकारियों, जिन्हें ऐसे निर्देश दिए जायं, पर उनके अनुपालन के लिए बाध्यकारी होंगे।

अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति

17. (1) जहाँ ऐसा करना आवश्यक समझा जाय, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची से किसी जीव अनाशित की किसी मद को जोड़ अथवा घटा सकती है और ऐसी अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर अनुसूची तद्नुसार संशोधित समझी जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना इसे जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जायेगी।

प्रत्यायोजन की शक्ति

18. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अन्तर्गत उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी भी शक्ति (धारा 20 में नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) को, ऐसे मामलों में जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, उसमें विनिर्दिष्ट अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किया जा सकेगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

19. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी, या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी के किसी अधिकारी या कर्मचारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

20. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किसी भी उपबन्ध को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे।

शोध

21. राज्य सरकार, ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में किन्हीं शोध गतिविधियों का आयोजन कर सकेगी या करा सकेगी।

निरसन और व्यावृत्ति

22. (1) उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 29 वर्ष 2000) (उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों यह सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

अनुसूची

{धारा 2 का खण्ड (छ) देखिए}

जीव अनाशित कूड़ा–कचरा

(बिना आकार व मोटाई के)

1– पॉलिथीन

2– नायलान

3– पी0वी0सी0

4– पाली–प्रापिलीन

5– पाली–स्टाइरीन

6– पाली–इथाइलीन टेरेफ्थेलेट

7– हाई डेनसिटी पालीथीन

8– लो डेनसिटी पालीथीन; और

9– अन्य धूना और बहु पदार्थ जैसे (ए.बी.एस.–एक्रीलोनीट्रइल बटाडाइन स्टाइरीन, पी.पी.ओ.–पालीथीन ऑक्साइड, पी.सी.–पॉलीकारबोनेट, पी.बी.टी.–पालीबूटाइलीन टेरेफ्थालेट) इत्यादि।

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।

No. 141/XXXVI(3)/2013/19(1)/2013
Dated Dehradun, April 01, 2013

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Plastic and Other Non Biodegradable Garbage (Regulation of Use and Disposal) Act, 2013'** (Adhiniyam Sankhya 17, of 2013)

As Promulgated by the Governor of Uttarakhand and assented on 28 March, 2013.